न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 8/2021
GCMS NO. : 2021/16

–:: प्रार्थीगण ::–

1. रामसिंह पुत्र केसरसिंह
2. मरूधरकंवर पुत्री केसरसिंह
3. लक्षमणसिंह पुत्र केसरसिंह के का. मु.
   3/1. रेखाकंवर पत्नी लक्षमणसिंह
   3/2. युविका पुत्री लक्षमणसिंह
   3/3. भुपेन्द्रसिंह पुत्र लक्षमणसिंह
   सायलान संख्या 3/2 व 3/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता रेखाकंवर पत्नी लक्षमणसिंह
4. ओमकंवर पत्नी केसरसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. केसरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी गरनीया तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू: 05/03/2021

उपस्थितः. 1. श्री अरूणसिंह राठौड, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 12/11/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गरनिया पटवार हल्का गरनिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकला तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायलान् की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति व गैरसायलान् संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 223 रकबा 132 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 224 रकबा 0–07 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा, खसरा नम्बर 227 रकबा 4–04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 237 रकबा 0–12 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा, खसरा नम्बर 238 रकबा 100–05 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 27–09 बीघा किस्म [illegible] नम्बर 34 करबा 35–05 बीघा किस्म बारानी दोयम [illegible] है। उपरोक्त [illegible] आराजी मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायलान् संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है एवं उपरोक्त वर्णित आराजी में सायलान् अपने हिस्से अनुसार काबिज है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान् व गैरसायलान् संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है जो सम्पति सेटलमेन्ट मे सायलान् के दादा एवं गैरसायलान् संख्या 1 के पिता गोविन्दसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज थी एवं मौके पर उनका कब्जा था तथा उनके फौत होने के पश्चात उपरोक्त वर्णित आराजी गोविन्दसिंह के वारिसान के नाम बतौर फौतेदगी म्युटेशन के इन्द्राज हुई थी सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 एक ही वंशज के उत्तराधिकारी एवं वारिस है। वंशावली प्रार्थना-पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंश वृक्षावली से यह स्पष्ट है कि सायलान् व गैरसायलान् संख्या 1 गोविन्दसिंह के उत्तराधिकारी एवं वारिस होने से वादग्रस्त सम्पति मे सायलान् का बाई बर्थ अर्थात जन्मतः हक व अधिकार है तथा गैरसायलान् संख्या 1 को उपरोक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति को मात्र उपयोग/उपभोग करने का हक अधिकार है क्योकि सायलान् का उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति में धारा 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म लेते ही उनका इस सम्पत्ति मे स्वतः ही हक अधिकार निहित हो जाते है तथा वादग्रस्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी होने से गैरसायलान् संख्या 1 को उक्त आराजी का उपयोग/उपभोग करने का अधिकार है न कि रहन, बेचान, बक्सीस करने का। गोविन्दसिंह के फौत होने के पश्चात गैरसायलान् संख्या 1 पुत्र होने से उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हुआ जबकि कानूनन वादग्रस्त सम्पत्ति मे सायलान् का भी हक हिस्सा व अधिकार निहित है। इसलिए सायलान् वादग्रस्त सम्पत्ति मे अपने हक हिस्से व बंट की भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि सायलान् की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है और मौके पर सायलान् अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन गैरसायलान संख्या 1 आज से करीब 30 वर्ष पूर्व सायलान् को अपने हाल पर छोड़कर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारीयो एवं कर्तव्यों से विमुख होकर अन्यत्र चला गया उसके पश्चात कभी भी गैरसायलान् संख्या 1 ने सायलान की सार संभाल व देखभाल भरण पोषण इत्यादि नही किया सायलान् संख्या 4 ने उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि पर काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करके अपने नाबालिग बच्चो सायलान् का लालन पालन व भरण पोषण किया एवं शिक्षा दिक्षा दिलायी एवं सायलान् संख्या 4 ने अपने पुत्रगण व पुत्री का विवाह किया तथा सायलान् संख्या 4 के पुत्र व सायलान् संख्या 3/1 के पति तथा सायलान् संख्या 3/2 से 3/3 के पिता लक्षमणसिंह का दुर्घटना मे देहान्त हो चुका है वर्तमान मे भी सायलान् के आय का एक मात्र जरिया उक्त कृषि भूमि ही है। सायलान् को उनकी पैतृक [illegible] से वंचित रखने की नियत से गैरसायलान् संख्या 1 अपने [illegible] आया। गैरसायलान् संख्या 1 ने गैरकानूनी एवं अवैध तरीके से बिना सायलान् संख्या 4 की सहमति व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

स्वीकारोक्ति के एवं बिना कानूनी रूप से विवाह विच्छेद किये दुसरी औरत सुमनकंवर को अवैध तरीके से अपने साथ रखने लगा व सुमनकंवर व उसके पुत्र तेजकरणसिंह व पुत्री निशा के बहकावट व सिखावट मे आकर वादग्रस्त सम्पति को किसी अन्य को रहन, बेचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है जबकि कानूनन गैरसायलान् संख्या 1 को ऐसा गैरकानूनी कृत्य करने का कोई हक अधिकार नही है। क्योंकि वादग्रस्त सम्पति मे गैरसायलान् संख्या 1 के साथ सायलान् का भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत हक व अधिकार है। परन्तु गैरसायलान् संख्या 1 मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने का फायदा उठाकर अपने साथ रखी औरत सुमनकंवर व उसके पुत्र व पुत्री की बहावट व सिखावट आकर उक्त सम्पति को बेचान करने पर आमादा है और यदि गैरसायलान् संख्या 1 अपने इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाता है और वादग्रस्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति को केवल मात्र राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज होने के आधार पर बैचान कर देते है एवं सायलान् को उनके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान् अपने साम्पतिक हक अधिकारों से महरूम हो जायेगे एवं भूमिहीन हो जायेगे जबकि सायलान् के जीवनयापन का एक मात्र जरिया उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि है और यदि गैरसायलान् संख्या 1 इस जमीन को भी हस्तान्तरित कर देते है तो सायलान् के पास अपने जीवनयापन का कोई स्त्रोत नही बचेगा एवं सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन रूपयो मे भी नह किया जा सकेगा। इसलिए सायलान् के पास कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादग्रस्त सम्पति जो कि सायलान् की पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पति गैरसायलान् संख्या 1 को उनके पिता गोवि गोविन्दसिंह के फौत होने के पश्चात जरिये फौतेदगी म्युटेशन के विरासत मे प्राप्त हुई है तथा उक्त सम्पति गैरसायलान् संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति नही होकर के पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसका केवल मात्र उपयोग/उपभोग करने का हक अधिकार गैरसायलान् संख्या 1 को है तथा उक्त वादग्रस्त सम्पति को गैरसायलान् संख्या 1 को किसी अन्य को रहन, बेचान, बक्सीस व हस्तान्तरण करने व खूर्द बुर्द करने का एंव सायलान् को उनके हक हिस्से से बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। परन्तु फिर भी गैरसायलान् संख्या 1 उक्त सम्पति को बेचान करने पर आमादा है। अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। सायलान् वादग्रस्त सम्पत्ति में अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है तथा सायलान् ने गैरसायलान् संख्या 1 को उक्त पैतृक पुश्तैनी आराजी मे उनका भी अपने हक हिस्से अनुसार नाम इन्द्राज करवाने का दिनांक [illegible]/2021 को निवेदन किया तो गैरसायलान् संख्या 1 ने [illegible] किया एवं ऐलानिया धमकी दी कि शेष बची सम्पूर्ण आराजी को भी [illegible] करेगा तथा सायलान् को मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

से बदेखल कर देगा तब सायलान् ने गैरसायलान् संख्या 1 से समझाईस की परन्तु फिर भी गैरसायलान् सख्या 1 नही माना एवं शेष बची आराजी को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करने की जिद्द पर अड़े रहे और यदि गैरसायलान् संख्या 1 अपने इन गैरकानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाता है और वादग्रस्त सम्पति को बेचान कर देते है एवं सायलान् को मौके से बेदखल कर देते है तो सायलान् अपने जायज हक अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे एवं सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं सायलान् गैरसायलान् संख्या 1 द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृ त्यो का मौके पर विरोध करेगे तो मौके पर विवाद बढेगा एवं मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया बढेगी इसलिए सायलान् इन तमाम परिस्थितियों से बचने के लिये अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा सायलान् का अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् जोर जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर पैतृक पुश्तैनी सम्पत्ति के राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज होने मात्र से उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देते है एवं सायलान् को उनके कब्जे काश्त से बेदखल कर देते है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा सायलान् अपनी पैतृक पुश्तैनी हक हिस्से व बंट की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगे। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे से सायलान् अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई, बुवाई, कटाई, सिंचाई इत्यादि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे सायलान् को उनके कब्जे से बेदखल नही करे तथा किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि नही करे तथा कच्चा-पक्का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे नही लेवे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जावे, प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलायी जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस से तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 1 श्यामसुन्दर पंचारिया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पैरा संख्या 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जवाब है कि पैरा 1 में बताई गयी समस्त खसरा संख्या की कृषि भूमि का गैरसायल संख्या 1 रेकर्ड खातेदार है, काश्तकार है एवं गैरसायल संख्या 1 का ही मौके पर कब्जा व काश्त है एवं कुऐं पर पानी निकालने हेतु कृषि कनेक्शन भी लिया हुआ है गैरसायल संख्या 1 के साथ कभी भी गैरसायलान साथ–साथ नहीं रहे है, गैरसायल संख्या 1 अपनी कब्जासुद कृषि भूमि में रहवास हेतु मकान बना हुआ है, गैरसायल संख्या 1 अपनी समझ–समझाईश से ही अपनी कृषि भूमि पर बने मकान पर निवास कर रहा है, सायलान गांव गरनिया में निवास करते है, सायलान का यह समस्त खसरा संख्या की कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, नही आज तक है। पैरा संख्या 2 व 3 का जवाब है कि गैरसायल संख्या 1 मौके पर कब्जाकाश्त करता है, गैरसायल संख्या 1 कृषि पर ही निर्भर है, गैरसायल संख्या 1 जीवित रहते किसी भी प्रकार की अन्य कोई हक–हकुक व हिस्से की एवं घोषणा की न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते है। सायलान ने उक्त पेरे में जो वंशावली दर्शायी है, वह वंशावली भी गलत रुप से दर्शायी गयी है। सायल संख्या 3 फ़ौत होने के बाद उसकी पत्नि रेखा कंवर ने द्वितीय विवाह किसी अन्य व्यक्ति से कर लिया है। जो आज बच्चों सहित उसी के साथ निवास कर रही है। सायलान ने गैरसायलान संख्या 1 के साथ कभी भी रहवास नहीं किया है। न ही कभी साथ–साथ रहे है। सायलान ने गैरसायल संख्या 1 को तंग व परेशान करने की गरज से बिना किसी कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। गैरसायलय संख्या 1 विवाहिता की पत्नि है, सुगन कंवर के साथ अपना फॉर्म हाउस पर ही रहवास कर रहा है एवं बच्चे तेजकरण सिंह व नेहा राठौड़ भी गैरसायल संख्या 1 के साथ अपने फ०र्म हाउस पर गैरसायल संख्या 1 के साथ रहवास कर रहे है। सायलयान को गैरसायल संख्या 1 के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद लाने का बिनाय ही उत्पन्न नहीं होने से सायलान का प्रार्थना पत्र व वाद खारिज किये जाने योग्य से खारिज फरमाया जावें क्योंकि गैरसायल संख्या 1 ने सायलान् संख्या 4 से हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार विवाह किया ही नहीं था। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्शायी गयी समस्त खसरा नम्बर के गैरसायल संख्या 1 का अपने हिस्से अनुसार ही काबिज है। सायलान, गैरसायल संख्या 1 के कभी भी उत्तराधिकारी नहीं रहे है, इसलिये सायलान, गैरसायल संख्या 1 के किसी प्रकार का कोई हक–हकुक, हिस्से की मांग नहीं कर सकते है, और गैरसायल संख्या 1 के पिता का देहान्त से आज से करीबन 17–18 वर्ष एक पहले हो गया था, अगर गैरसायल संख्या अपने हक–हकूक की खातेदारी जमीन का हस्तानान्तरण करवाना चाहता है तो कभी भी करवा चुका होता। लेकिन आज दिन तक दावे के पद संख्या 1 की बताई गयी कृषि भूमि का हस्तानान्तरण नहीं किया गया, न ही किसी प्रकार का बेचान करने की मंशा [illegible] गैरसायल संख्या 1 के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई [illegible] नहीं कर सकते है। पैरा संख्या 4 का जवाब है कि दावे के पद संख्या [illegible] की बताई गयी कृषि भूमि सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

की पैतृक, पुश्तैनी सम्पति नहीं है, उक्त कृषि भूमि गैरसायल संख्या 1 का एकमात्र कब्जाकाश्त है, गैरसायल संख्या 1 ही अपने हिस्से अनुसार कृषि भूमि पर अपने व अपने बाल–बच्चों का पालन–पोषण काश्त करके लगातार कर रहा है, सायलान का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है, गैरसायल संख्या 1 के जीवित रहते कोई भी वारिस गैरसायल संख्या 1 से किसी भी प्रकार की हक–हकूक की मांग नहीं कर सकते है, न ही गैरसायल संख्या 1 के जीवित रहते गैरसायल संख्या 1 के वारिसान हक–हकूक व घोषणा की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकते है। पैरा संख्या 5 का जवाब है कि सायलान व गैरसायल के बीच कभी भी खातेदारी भूमि को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, सायल संख्या 1 रामसिंह कई बार गैरसायल संख्या 1 को बिना किसी कारण के झगड़ा, फसाद व मारपीट हुई है, लेकिन कभी भी सायलान का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा व काश्त रहा ही नहीं। न ही आज है। सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को प्राप्त करने के तीनों बिन्दु के प्रार्थना पत्र से ही साबित नहीं होते है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है, खारिज फरमाया जावें। पैरा संख्या 6 का जवाब है कि सायलान द्वारा लिखे गये कथन गैरसायल संख्या 1 अस्वीकार करता है, सायलान का उक्त आराजी भूमि पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी नहीं बनता है, क्योंकि उक्त विवादित आराजी पर कभी भी सायलान का कब्जा व काश्त नहीं रहा है, गैरसायल संख्या 1 का ही मौके पर कब्जा एवं काश्त है, इसलिये सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया मामला गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में है। सायलान को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है, अगर गैरसायल संख्या 1 के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायल संख्या 1 को सायलान के बजाय गैरसायल संख्या 1 को होगी। सायलान का उक्त प्रार्थना पत्र में कानूनन भी सफल नहीं हो सकते, क्योकि सायलान का गैरसायल संख्या 1 की कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं होने से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। सायलान का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में बतायी गयी उक्त खसरा संख्या की कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अतः सायलान के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि सायलान का उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्च के खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के अ[illegible] प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायलान/प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने से जन्म से हक अधिकार निहित होने के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। सायलान/प्रार्थीगण ने यह कथन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अप्रार्थी संख्या 1 केसरसिंह के पुत्रान है। प्रार्थीगण ने यह अभिकथन किये है कि वादग्रस्त आराजी सायलान के दादा एवं गैरसायल संख्या 1 के पिता गोविन्दसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में उक्त कथन का खण्डन भी नहीं किया है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेखीय दस्तावेज के अवलोकन से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। मूल वाद के अनुतोष पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विन्रम अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से अधिकार निहित होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला सायलान/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। पैतृक पुश्तैनी आराजी के संबंध में प्रत्येक वारिसान के पक्ष में जन्म से उसके हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/सायलान के पक्ष में स्थापित हो चुके है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071-74 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अभिलिखित है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अतः वाद के निस्तारण तक यदि अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी के रहन,बेचान,हस्तान्तरण न करने हेतु, प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रकरण में वाद-बाहुल्यता व अनावश्यक जटिलता होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रार्थीगण को निश्चित ही अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष व उनके हक हिस्से तक साबित होते है। अतः हम हस्तगत प्रकरण में कायमसल्ला वाद अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने तथा रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा गरनिया पटवार हल्का गरनिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकला तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 223 रकबा 132 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 224 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा, खसरा नम्बर 227 रकबा 4-04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 237 रकबा 0-12 बीघा किस्म गै0 मु0 बेरा, खसरा नम्बर 238 रकबा 100-05 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 250 रकबा 27-09 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 34 करबा 35-05 बीघा किस्म बारानी दोयम को रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 12/11/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:59:58 IST
Reason: SelfAttested